



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941

No. 412] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर 2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019

सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./051.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 2 के खंड (ड) और धारा 60 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) तथा धारा 240 की उपधारा (1) के खंड (यद) और (यध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम संहिता के भाग 3 के अधीन निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) किसी लेनदार या शोधन अक्षमता न्यासी या शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा व्यावसायिक नियोजित के संबंध में "सहयोगी" का वही अर्थ होगा जो धारा 79 की उपधारा (2) में किसी ऋणी के संबंध में उसका है, जो लागू हो;

(ख) "शोधन अक्षमता प्रक्रिया लागत" के अंतर्गत समिति द्वारा अनुमोदित या अनुसमर्थित सीमा तक -

(i) शोधन अक्षमता न्यासी को संदेय फीस;

(ii) विनियम 5 के उप-विनियम (1), विनियम 6 के उप-विनियम (4), विनियम 10 के उप-विनियम (3) के खंड (ग) के उपखंड (ii) और खंड (घ), विनियम 28 के उप-विनियम (3) और विनियम 31 के उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट संदाय और व्यय; और

(iii) ऐसी अन्य लागत और व्यय, जिनका शोधन अक्षमता प्रक्रिया से प्रत्यक्षतः संबंध है।

से अभिप्रेत है;

(ग) "संहिता" से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) अभिप्रेत है;

(घ) "समिति" से धारा 79 की उपधारा (1) में यथा-परिभाषित लेनदारों की समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "निगमित ऋणी" से ऐसा निगमित (कारपोरेट) व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके लिए प्रत्याभूतिदाता ने व्यक्तिगत प्रत्याभूति दी है;

(च) "इलैक्ट्रॉनिक माध्यम" से ऐसा प्राधिकृत और सुरक्षित संदेश कार्यक्रम अभिप्रेत है, जो ऐसे सहभागी को, जो ऐसी संसूचना प्राप्त करने का हकदार है उस अंतिम इलैक्ट्रॉनिक मेल पते पर, जो कि ऐसे सहभागी द्वारा दिया गया है, संसूचना भेजे जाने की पुष्टि करने और ऐसी संसूचना का अभिलेख रखने में सक्षम है;

(छ) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(ज) "सहभागी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समिति की बैठक में भाग लेने का हकदार है और इसके अंतर्गत लेनदार, शोधन अक्षम, शोधन अक्षमता न्यासी और समिति द्वारा ऐसी बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी है;

(झ) "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार इस रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) कारपोरेट ऋणी के संबंध में "संबद्ध पक्षकार" का वही अर्थ होगा जो धारा 5 की उपधारा (24) में उसका है;

(ट) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है;

(ठ) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों को, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु संहिता एवं दिवाला और शोधन अक्षमता (निगमित ऋणी के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को आवेदन) नियम, 2019 में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः संहिता एवं कथित नियम में हैं।

अध्याय 2

शोधन अक्षमता न्यासी

3. शोधन अक्षमता न्यासी की पात्रता –

(1) कोई दिवाला व्यावसायिक किसी शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त किए जाने का तभी पात्र होगा यदि

(क) वह, दिवाला व्यावसायिक इकाई, जिसका वह भागीदार या निदेशक है या उक्त दिवाला व्यावसायिक इकाई के सभी भागीदार और निदेशक, प्रत्याभूतिदाता से स्वतंत्र है;

(ख) बोर्ड या उस दिवाला व्यावसायिक संस्था की, जिसका वह व्यावसायिक सदस्य है, किसी चालू अनुशासनिक कार्यवाही या अवरोध आदेश के अधीन नहीं है; और

(ग) उसी शोधन अक्षमता प्रक्रिया में किसी अन्य पक्षकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए,-

(i) किसी व्यक्ति को प्रत्याभूतिदाता से तब स्वतंत्र समझा जाएगा, यदि-

- (क) वह प्रत्याभूतिदाता का सहयोगी नहीं है;
- (ख) वह ऐसे कारपोरेट ऋणी का संबद्ध पक्षकार नहीं है;
- (ग) उसने कारपोरेट ऋणी की बाबत अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक या परिसमापक के रूप में कार्य नहीं किया है या नहीं कर रहा है ;
- (2) ऐसा शोधन अक्षमता न्यासी, जो प्रत्याभूतिदाता का लेखापरीक्षक रहा था, समिति को ऐसी लेखापरीक्षा के लिए वर्षवार प्राप्त पारिश्रमिक का प्रकटन करेगा ।
- (3) ऐसे दिवाला व्यावसायिक से भिन्न कोई दिवाला व्यावसायिक, जिसने, यथास्थिति, किसी प्रत्याभूतिदाता या लेनदार की ओर से धारा 122 या धारा 123 के अधीन आवेदन फाइल किया है, किसी शोधन अक्षमता प्रक्रिया में शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व न्यायनिर्णायन प्राधिकारी को प्ररूपक में लिखित सहमति देगा ।

4. शोधन अक्षमता न्यासी की फीस

(1) शोधन अक्षमता न्यासी ऐसी फीस का हकदार होगा और फीस का संदाय ऐसी रीति में किया जाएगा, जो समिति द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न मामलों में, शोधन अक्षमता न्यासी, अनुसूची 1 के अनुसार, शोधन अक्षमता की संपदा से वसूल की गई रकम और ऐसी वसूली से वितरित की गई रकम की प्रतिशतता के रूप में फीस का हकदार होगा ।

5. व्यावसायिकों की नियुक्ति

(1) कोई शोधन अक्षमता न्यासी अपने कर्तव्यों, बाध्यताओं और कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता के लिए लेखाकार, रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, अधिवक्ता या अन्य व्यावसायिक, जो भी आवश्यक हों, युक्तिसंगत पारिश्रमिक के लिए नियुक्त कर सकेगा और ऐसा पारिश्रमिक शोधन अक्षमता प्रक्रिया लागत का भाग गठित करेगा:

परन्तु निम्नलिखित व्यक्तियों को इस विनियम के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:-

- (क) शोधन अक्षमता न्यासी का नातेदार;
- (ख) ऐसी दिवाला व्यावसायिक इकाई का भागीदार या निदेशक जिसका शोधन अक्षमता न्यासी एक भागीदार या निदेशक है;
- (ग) ऐसा दिवाला व्यावसायिक, जिसने कारपोरेट ऋणी की बाबत अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक या परिसमापक के रूप में कार्य किया है;
- (घ) शोधन अक्षमता का सहयोगी;
- (ङ) कारपोरेट ऋणी का संबद्ध पक्षकार ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त किया गया या नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यावसायिक किसी लेनदार, शोधन अक्षमता न्यासी, कारपोरेट ऋणी या संबंधित शोधन अक्षमता के साथ किसी धनीय या व्यक्तिगत संबंध की विद्यमानता को उसकी जानकारी के तीन दिन के भीतर शोधन अक्षमता न्यासी को प्रकट करेगा ।

6. रजिस्टर और बहियां

(1) जहां शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ करने की तारीख को शोधन अक्षमता की लेखा-बहियां अपूर्ण हैं वहां शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ करने की तारीख से साठ दिन के भीतर उन्हें पूर्ण और अद्यतन कराएगा ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी ऐसी नकद बही, खाता-बहियां, रजिस्टर और ऐसी अन्य बहियां रखेगा जो कि शोधन अक्षमता की संपदा के प्रशासन के लिए अपेक्षित हों ।

(3) जहां शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षमता के कारबार को चलाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है वहां वह ऐसे कारबार की बाबत पृथक् लेखा-बहियां रखेगा और ऐसी बहियां, यथासंभव शोधन अक्षमता द्वारा अपने कारबार के अनुक्रम में पहले से रखी गई बहियों के अनुरूप होंगी ।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संबंध में उसके द्वारा किए गए सभी संदायों या उपगत व्ययों के लिए रसीदें रखेगा ।

7. शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा रिपोर्टें

शोधन अक्षमता न्यासी निम्नलिखित रिपोर्टें तैयार करेगा और उन्हें न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और समिति को प्रस्तुत करेगा –

- (क) प्रारंभिक रिपोर्ट;
- (ख) प्रगति रिपोर्टें; और
- (ग) अंतिम रिपोर्ट ।

8. प्रारंभिक रिपोर्ट

(1) शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर न्यायनिर्णायन प्राधिकारी और समिति को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी प्रारंभिक रिपोर्ट की एक प्रति, शोधन अक्षम को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय भेजेगा ।

(3) प्रारंभिक रिपोर्ट में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे:—

(क) शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को शोधन अक्षम की बहियों पर आधारित शोधन अक्षम की आस्तियों और दायित्वों की सूची:

परन्तु यदि शोधन अक्षमता न्यासी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं, जो कि लिखित में लेखबद्ध किए जाएं, कि शोधन अक्षम की बहियां विश्वसनीय नहीं हैं तो वह उसे अन्यथा उपलब्ध विश्वसनीय अभिलेखों और डाटा के आधार पर ऐसे आकलन भी देगा;

(ख) संपदा के प्रशासन के संबंध में प्रस्तावित कार्य-योजना, जिसके अंतर्गत वह समय-सीमा भी है जिसमें उसका किया जाना प्रस्तावित है और प्राक्कलित लागत;

(ग) शोधन अक्षम की आस्तियों, उसके कारबार या कामकाज की बाबत की जाने वाली कोई अतिरिक्त जांच;

(घ) उन आस्तियों के ब्यौरे, जिनकी वसूली की जाना आशयित है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं –

- (i) विनियम 33 के अनुसार मूल्यांकित आस्तियों का मूल्य;
- (ii) आस्तियों की वसूली की आशयित रीति और उसके कारण;
- (iii) वसूली की प्रत्याशित रकम;
- (iv) ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो आस्तियों की वसूली के लिए सुसंगत हो ।

(ङ) धारा 155 की उपधारा (2) के अधीन अपवर्जित आस्तियों और अन्य आस्तियों के ब्यौरे ।

(4) प्रारंभिक रिपोर्ट शोधन अक्षमता प्रक्रिया के दौरान तब तक गोपनीय होगी जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उचित समझे, किसी व्यक्ति को उस तक पहुंच के लिए अनुज्ञात नहीं करता ।

9. प्रशासन का शीघ्र पूरा किया जाना

प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, यदि शोधन अक्षमता न्यासी को ऐसा प्रतीत होता है कि –

- (क) शोधन अक्षम की वसूलनीय आस्तियां शोधन अक्षमता प्रक्रिया की लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, और
- (ख) शोधन अक्षम के कामकाज में आगे अन्वेषण करना अपेक्षित नहीं है,

तो वह न्यायनिर्णायन प्राधिकारी को शीघ्र उन्मोचन आदेश करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

10. प्रगति रिपोर्टें

(1) शोधन अक्षमता न्यासी न्यायनिर्णायन प्राधिकारी और समिति को उस तिमाही की समाप्ति के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि कोई दिवाला व्यावसायिक शोधन अक्षमता प्रक्रिया के दौरान शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में कार्य करना बन्द कर देता है तो वह उस तिमाही के लिए प्रगति रिपोर्ट उसके द्वारा इस प्रकार कार्य करना बन्द कर देने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर फाइल करेगा ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी उप-विनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय शोधन अक्षम को प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा।

(3) प्रगति रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित होंगे -

(क) व्यावसायिकों की नियुक्ति, नियुक्ति की अवधि और नियुक्ति समाप्त होना;

(ख) शोधन अक्षमता प्रक्रिया में प्रगति उपदर्शित करने वाला कथन, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे -

- (i) लाभांश और अंतरिम लाभांश का वितरण;
- (ii) किसी आस्ति के लिए प्रत्याशित वसूली में कोई तात्विक परिवर्तन और ऐसे परिवर्तन के लिए आधार;
- (iii) शोधन अक्षमता की आस्तियों या दायित्वों के मूल्य में कोई तात्विक परिवर्तन और ऐसे परिवर्तन के लिए आधार;
- (iv) शोधन अक्षमता प्रक्रिया की प्राक्कलित लागत में कोई तात्विक परिवर्तन और ऐसे परिवर्तन के लिए आधार;
- (v) बेची न गई संपत्ति का लेनदारों में वितरण;
- (vi) ऐसी किसी संपत्ति के ब्यौरे, जिसकी वसूली बकाया है;
- (vii) लेनदारों की सूची; और
- (viii) अन्य कोई सुसंगत जानकारी।

(ग) आस्ति विक्रय रिपोर्ट, जिसमें वसूल की गई आस्तियों के निम्नलिखित ब्यौरे हों -

- (i) वसूल किया गया मूल्य;
- (ii) वसूली की लागत;
- (iii) वसूली की रीति और ढंग, जिसमें अनुसूची 2 के अनुसार ब्यौरे दिए गए हों;
- (iv) प्रारंभिक रिपोर्ट में उल्लिखित मूल्य की तुलना में वसूलनीय मूल्य में किसी कमी के लिए कारण;
- (v) उन व्यक्तियों के ब्यौरे जिनके पक्ष में संपत्ति की वसूली की गई है।

(घ) शोधन अक्षमता न्यासी को देय और उसके द्वारा प्राप्त फीस और पारिश्रमिक के ब्यौरे तथा उसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों का वर्णन;

(ङ) शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा नियुक्त व्यावसायिकों को संदत्त फीस और पारिश्रमिक के ब्यौरे तथा उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों का वर्णन ;

(च) शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संबंध में उपगत अन्य व्यय;

(छ) शोधन अक्षमता द्वारा या उसके विरुद्ध किसी तात्विक मुकदमेबाजी की प्रास्थिति;

(ज) धारा 160 और धारा 162 के अधीन दुर्भर संपत्तियों या पट्टाधृत हितों या धारा 164, धारा 165 और धारा 167 के अधीन कतिपय संबन्धनों का दावात्याग फाइल किया जाना और उसके संबंध में गतिविधियां;

(झ) शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा रखे गए खाते, जिनमें रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्राप्तियां और संदाय तथा शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से संचयी प्राप्तियां और किए गए संदाय दर्शित किए गए हों; और

(ञ) शोधन अक्षमता प्रक्रिया का कोई अन्य सुसंगत पहलू।

(4) वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही की प्रगति रिपोर्ट के साथ वित्तीय वर्ष में शोधन अक्षमता की प्राप्तियों और संदायों के संपरीक्षित लेखे संलग्न होंगे।

(5) प्रगति रिपोर्टें शोधन अक्षमता प्रक्रिया के दौरान तब तक गोपनीय होंगी जब तक न्यायनिर्णायन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के आधार पर उन तक पहुंच अनुज्ञात नहीं करता।

दृष्टांत

जहाँ कोई दिवाला व्यावसायिक तारीख 13 फरवरी, 2020 को शोधन अक्षमता न्यासी बनता है और वह तारीख 12 फरवरी, 2021 को इस रूप में कार्य करना बन्द कर देता है तो वह निम्नलिखित रूप में प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा:

रिपोर्ट सं.	तिमाही के अंतर्गत आने वाली अवधि	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	13 फरवरी से 31 मार्च, 2020	15 अप्रैल, 2020
2	अप्रैल-जून, 2020	15 जुलाई, 2020
3	जुलाई-सितम्बर, 2020	15 अक्तूबर, 2020
4	अक्तूबर-दिसम्बर, 2020	15 जनवरी, 2021
5	जनवरी-12 फरवरी, 2021	27 फरवरी, 2021

वह अपनी प्राप्तियों और संदायों के संपरीक्षित लेखे निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करेगा-

लेखा सं.	तिमाही के अंतर्गत आने वाली अवधि	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख
1	13 फरवरी – 31 मार्च, 2020	15 अप्रैल, 2020
2	1 अप्रैल, 2019 - 12 फरवरी, 2021	27 फरवरी, 2021

11. अंतिम रिपोर्टें

(1) अंतिम रिपोर्टें में शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन और वितरण पूरा होने का एक लेखा होगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है –

(क) शोधन अक्षम की आस्तियों की वसूली करने की रीति;

(ख) लेनदारों के बीच लाभांशों का वितरण करने की रीति;

(ग) शोधन अक्षम के उन्मोचन के संबंध में ब्यौरे;

(घ) अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है;

(ङ) अधिशेष लाभांश, यदि कोई है; और

(च) यदि शोधन अक्षमता प्रक्रिया की लागत प्रारंभिक रिपोर्टें में उपबंधित प्राक्कलित लागत से अधिक है, तो उसके कारणों सहित।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी अंतिम रिपोर्टें, धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन सहित न्यायनिर्णायन प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा।

12. सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्ति

(1) शोधन अक्षमता न्यासी को शोधन अक्षमता प्रक्रिया पूरी करने में निम्नलिखित व्यक्ति सभी प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे –

(क) शोधन अक्षम;

(ख) शोधन अक्षम के लेनदार;

(ग) शोधन अक्षम के कर्मचारी और कर्मकार;

(घ) शोधन अक्षम के भागीदार;

(ङ) शोधन अक्षम के लेखापरीक्षक;

(च) इन विनियमों के अधीन शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा नियुक्त किए गए व्यावसायिक;

- (छ) शोधन अक्षम के समाधान व्यावसायिक या पूर्ववर्ती शोधन अक्षमता न्यासी;
- (ज) कारपोरेट ऋणी की बावत अंतरिम समाधान व्यावसायिक, समाधान व्यावसायिक और परिसमापक;
- (झ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका शोधन अक्षम की किसी संपत्ति पर कब्जा है; और
- (ञ) शोधन अक्षमता प्रक्रिया से संसक्त या सुसंगत कोई अन्य व्यक्ति ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी ऐसे किसी परामर्श को, जो उसने उप-विनियम (1) में उल्लिखित व्यक्तियों के साथ किया है, अभिलिखित करेगा और उसे बनाए रखेगा ।

(3) जहां शोधन अक्षमता न्यासी युक्तियुक्त प्रयत्न करने के पश्चात् उप-विनियम (1) के अधीन व्यक्तियों से जानकारी या सहयोग अभिप्राप्त करने में असफल रहता है वहां वह न्यायनिर्णायन प्राधिकारी को ऐसे समुचित निदेशों के लिए, जो शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संचालन के लिए आवश्यक हों, आवेदन कर सकेगा ।

13. अभिलेख का परिरक्षण

शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत शोधन अक्षम की संपदा का प्रशासन भी है, से संबंधित रजिस्ट्रों, बहियों, रिपोर्टों, बैठकों के कार्यवृत्तों और अन्य अभिलेख की, एक भौतिक या इलैक्ट्रॉनिक प्रति संपदा का प्रशासन पूरा होने के पश्चात् उस अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची के अनुसार परिरक्षित रखेगा, जो बोर्ड द्वारा दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं के परामर्श से संसूचित की जाए ।

अध्याय 3

दावे

14. भावी दावे

(1) ऐसा व्यक्ति, जो उसी रीति में वितरण का हकदार है जैसे कि कोई अन्य लेनदार है, ऐसा दावा जो कि शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को को देय और संदेय नहीं है, शोधन अक्षमता न्यासी को प्रस्तुत कर सकता है ।

(2) तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अधीन रहते हुए, उप-विनियम (1) के अधीन व्यक्ति मूल रकम और शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज का हकदार होगा ।

15. परक्राम्य लिखतें

जहां कोई व्यक्ति किसी विनियम पत्र, वचनपत्र या अन्य परक्राम्य लिखत या इसी प्रकार की ऐसी प्रतिभूति की बावत, जिसके लिए शोधन अक्षम दायी है, दावा साबित करने की ईप्सा करता है, वहां दावे के साथ उसकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाएगी ।

16. आवधिक संदाय

किराया, ब्याज और आवधिक प्रकृति के ऐसे किसी संदायों की दशा में, कोई व्यक्ति शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख तक देय और असंदत्त किसी रकम का ही दावा कर सकेगा ।

17. दावे की मात्रा का अवधारण

जहां किसी दावेदार द्वारा दावाकृत रकम किसी कारण से निश्चित नहीं है वहां शोधन अक्षमता न्यासी अपने पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित दावे की रकम का सर्वोत्तम आकलन करेगा ।

18. विदेशी मुद्रा में ऋण

विदेशी मुद्रा में अंकित दावों को शोधन अक्षमता प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख को प्रचलित शासकीय विनियम दर पर भारतीय मुद्रा में मूल्यांकित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, “शासकीय विनियम दर” से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित निर्देश दर या ऐसी निर्देश दर से व्युत्पन्न दर अभिप्रेत है ।

19. लेनदारों को देय ऋण का अंतरण

(1) जहां कोई लेनदार, शोधन अक्षमता प्रक्रिया की अवधि के दौरान ऋण को किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित या अंतरित करता है वहां दोनों पक्षकार शोधन अक्षमता न्यासी को ऐसे समनुदेशन या अंतरण के निबंधन और समनुदेशिती या अंतरिती की पहचान और ब्यौरे देंगे ।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी, प्रत्येक लेनदार और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समिति में किसी पारिणामिक परिवर्तन को ऐसे परिवर्तन के दो दिनों के भीतर अधिसूचित करेगा ।

20. लेनदारों की समिति

(1) शोधन अक्षमता न्यासी धारा 132 में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर लेनदारों की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक लेनदार की बाबत निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे,-

- (क) नाम;
- (ख) किए गए दावे की रकम;
- (ग) स्वीकृत किए गए दावे की रकम;
- (घ) दावों की बाबत प्रतिभूति हित, यदि कोई है; और
- (ङ) दावे को अस्वीकार या स्वीकार करने के कारण।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी, धारा 134 की उपधारा (1) के अधीन लेनदारों की बैठक से तीन दिन के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समिति की स्थापना के बारे में रिपोर्ट करेगा।

(3) शोधन अक्षमता न्यासी, यदि अपेक्षित हो तो धारा 171 के अधीन प्राप्त सबूत के आधार पर लेनदारों की सूची और समिति में उपांतरण करेगा।

(4) लेनदारों की सूची और उप-विनियम (3) में उल्लिखित समिति में किसी उपांतरण को ऋण के सबूतों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अन्य लेनदारों को सूचित करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल किया जाएगा।

(5) उप-विनियम (3) के अधीन लेनदारों की सूची में किसी उपांतरण से समिति की किसी बैठक में ऐसे उपांतरण से पूर्व लिए गए निर्णय की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(6) समय-समय पर यथा-उपांतरित और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल की गई लेनदारों की सूची -

- (क) उन व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने सबूत सहित दावे प्रस्तुत किए हैं, निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी;
- (ख) शोधन अक्षम के भागीदारों और प्रत्याभूति-दाताओं द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी;
- (ग) शोधन अक्षम की वेबसाइट पर, यदि कोई है, प्रदर्शित की जाएगी।

अध्याय 4

समिति की बैठकों और मतदान

21. बैठक की सूचना

(1) शोधन अक्षमता न्यासी, जब भी वह आवश्यक समझे, समिति की बैठक बुला सकेगा और कम से कम तैंतीस प्रतिशत मूल्य वाले लेनदारों द्वारा अनुरोध करने पर बैठक बुलाएगा।

(2) इस विनियम के अधीन और धारा 133 के अधीन बैठक की सूचना प्रत्येक सहभागी को उस पते पर तामील की जाएगी जो शोधन अक्षमता न्यासी को उपलब्ध कराया गया है।

(3) समिति की कोई बैठक ऐसी सूचना देकर, जो समिति द्वारा विनिश्चित की जाए, बुलाई जाएगी बशर्ते ऐसी सूचना अड़तालीस घंटे से कम की नहीं होगी।

(4) लेनदारों की बैठक बुलाने वाली सूचना में, सहभागियों को बैठक के स्थान, समय, तारीख की और -

(i) सहभागियों को, या तो व्यक्तिगत रूप से, वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से या प्रॉक्सी के माध्यम से बैठक में भाग लेने; और

(ii) ऋणियों को, यथास्थिति, व्यक्तिगत रूप से, प्रॉक्सी के माध्यम से या इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों, या इलैक्ट्रॉनिक प्रॉक्सी से मतदान करने;

के संबंध में उन्हें उपलब्ध विकल्पों की सूचना दी जाएगी।

(5) बैठक की सूचना में कार्यसूची होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा -

- (क) उन विषयों की सूची, जिन पर बैठक में विचार-विमर्श किया जाना है;

(ख) उन मुद्दों की सूची जिसके संबंध में बैठक में मतदान होना है;

(ग) उन विषयों के संबंध में, जिन पर विचार-विमर्श किया जाना है और उन मुद्दों के संबंध में, जिन पर मतदान किया जाना है, सुसंगत दस्तावेज़।

(6) यदि सहभागियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो बैठक की सूचना में -

(क) बैठक में भाग लेने की प्रक्रिया और रीति का वर्णन होगा;

(ख) बैठक में सुरक्षित रीति से पहुंच के लिए पासवर्ड बनाने के लिए सुविधा के लागि आई.डी. और ब्यौरे होंगे; और

(ग) उस व्यक्ति के संपर्क ब्यौरे होंगे, जो कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से संबद्ध शंकाओं का निवारण करेगा।

(7) यदि लेनदारों को इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान करने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो बैठक की सूचना में -

(क) ऐसे माध्यमों द्वारा मतदान करने की प्रक्रिया और रीति का वर्णन होगा;

(ख) सुरक्षित रीति में मतदान करने के लिए इलैक्ट्रानिक माध्यमों तक पहुंच के लिए पासवर्ड बनाने के लिए सुविधा के लागि आई.डी. और ब्यौरे होंगे; और

(ग) उस व्यक्ति के संपर्क ब्यौरे होंगे, जो कि इलैक्ट्रानिक माध्यमों से संबद्ध शंकाओं का निवारण करेगा।

22. कोरम

(1) जहां समिति की कोई बैठक कोरम की कमी के कारण आयोजित नहीं का जा सकी हो वहां जब तक कि लेनदारों ने इससे पूर्व अन्यथा विनिश्चित न किया हो, बैठक अगले दिन उसी समय और स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी और उस दिन कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(2) शोधन अक्षम उस बैठक में, जिसमें शोधन अक्षमता न्यासी, सूचना देकर, उससे भाग लेने की अपेक्षा करे और उसके किसी स्थगन में भाग लेगा।

23. बैठक का संचालन

(1) शोधन अक्षमता न्यासी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा;

(2) बैठक के प्रारंभ में, शोधन अक्षमता न्यासी उपस्थिति लेगा तब प्रत्येक सहभागी, जिसके अंतर्गत प्रॉक्सी द्वारा या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने वाले सहभागी भी हैं, अभिलेख के लिए निम्नलिखित कथन करेंगे -

(क) अपना नाम;

(ख) वह हैसियत, जिसमें वह भाग ले रहा है;

(ग) वह लेनदार, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है; और

(घ) उसने कार्यसूची और बैठक के लिए सुसंगत समस्त सामग्री प्राप्त कर ली है।

(3) शोधन अक्षमता न्यासी, उपस्थिति लेने के पश्चात् सहभागियों को उन सभी व्यक्तियों के नाम सूचित करेगा जो बैठक के लिए उपस्थित हैं और इस बात की पुष्टि करेगा कि अपेक्षित कोरम पूरा है।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित कोरम संपूर्ण बैठक में पूरा रहा।

(5) बैठक प्रारंभ होने से उसकी समाप्ति तक, सहभागियों से भिन्न कोई व्यक्ति और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसकी उपस्थिति की अपेक्षा शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा की गई हो, शोधन अक्षमता न्यासी की अनुज्ञा के बिना पहुंच की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(6) शोधन अक्षमता न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि लेनदारों की प्रत्येक बैठक के संबंध में कार्यवृत्त तैयार किए जाएं और उक्त बैठक के अड़तालीस घंटे के भीतर इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा समस्त सहभागियों को परिचालित कराए जाएं।

24. मतदान अंश

(1) धारा 135 के अधीन रहते हुए, प्रत्येक लेनदार का मतदान अंश ऐसे लेनदार को देय ऋण के अनुपात में होगा।

(2) प्रत्याभूत लेनदार का मतदान अंश ऋण के अप्रत्याभूत भाग, यदि कोई है, के अनुपात में होगा, यदि उसने उसके प्रत्याभूत हित को प्रवर्तित कराने का विकल्प अपनाया है।

(3) ऐसे प्रत्याभूत लेनदार का मतदान अंश, जिसने अपने प्रत्याभूत हित का परित्याग करने का विकल्प अपनाया है, परित्यक्त ऋण की रकम के अनुपात में होगा।

25. समिति द्वारा मतदान

(1) शोधन अक्षमता न्यासी मतदान के लिए सूचीबद्ध किसी मद के संबंध में, उस पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् बैठक में उपस्थित लेनदारों का मत लेगा।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी, बैठक की समाप्ति पर बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा, जिसमें लेनदारों के नाम, बैठक में मतदान कराई गई मदों पर किसने पक्ष में मतदान किया या किसने विपक्ष में मतदान किया या कौन-कौन मतदान से अनुपस्थित रहा, होंगे।

(3) शोधन अक्षमता न्यासी—

(क) बैठक के समाप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर बैठक के सभी सहभागियों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से बैठक का कार्यवृत्त परिचालित करेगा, और

(ख) ऐसे लेनदारों से, जो बैठक में उपस्थित नहीं थे या जिन्होंने बैठक में मतदान नहीं किया था, मतदान के लिए सूचीबद्ध की गई मदों पर इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान करने की ईप्सा करेगा, जहां मतदान खंड (क) के अनुसार कार्यवृत्त के परिचालन से कम से कम चौबीस घंटे के लिए खुला रखा जाएगा।

(4) जब तक संहिता में अन्यथा उपबंधित न हो, समिति के प्रत्येक विनिश्चय के लिए लेनदारों के, जिन्होंने मतदान किया है, पचास प्रतिशत से अधिक का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(5) शोधन अक्षमता न्यासी, मतदान अवधि के अंत में, बैठक में और इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किए गए मतदान पर विचार करने के पश्चात्, मदों के संबंध में लिए गए विनिश्चय को उन लेनदारों के नामों सहित अभिलिखित करेगा, जिन्होंने पक्ष में मतदान किया है, विपक्ष में मतदान किया है या जो मतदान से अनुपस्थित रहे हैं।

(6) शोधन अक्षमता न्यासी उप-विनियम (5) के अधीन तैयार किए गए अभिलेख की एक प्रति सभी सहभागियों को मतदान के समाप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर परिचालित करेगा।

26. प्रॉक्सी द्वारा मतदान

(1) ऐसा लेनदार, जो मत करने का हकदार है, अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति को, जो शोधन अक्षमता न्यासी का सहयोगी नहीं होगा, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा।

(2) लेनदार, उप-विनियम (1) के प्रयोजनार्थ, समिति की बैठक से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व शोधन अक्षमता न्यासी को सम्यक् रूप से संपूरित प्ररूप ख परिदत्त करेगा।

(3) प्रॉक्सी, लेनदार की ओर से इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान कर सकेगा।

अध्याय 5 आस्तियों की वसूली

27. विक्रय की पद्धति

(1) शोधन अक्षमता न्यासी शोधन अक्षम की आस्तियों का विक्रय साधारणतया अनुसूची 2 के भाग क में विनिर्दिष्ट नीलामी के माध्यम से करेगा।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी आस्तियों का विक्रय अनुसूची 2 के भाग ख में विनिर्दिष्ट रीति में प्राइवेट विक्रय द्वारा कर सकेगा, यदि —

(क) आस्ति नाशवान प्रकृति की है;

(ख) यदि विक्रय में विलंब किया जाता है तो आस्ति के मूल्य में महत्वपूर्ण रूप से क्षय होने की संभावना है; या

(ग) आस्ति की विक्रय कीमत असफल नीलामी की आरक्षित कीमत से उच्चतर है।

(3) निम्नलिखित व्यक्ति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के अनुज्ञा के बिना शोधन अक्षम की संपत्ति में किसी हित का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः क्रय या अर्जन नहीं करेंगे —

(क) शोधन अक्षमता न्यासी या उस दिवाला व्यावसायिक इकाई का कोई भागीदार या निदेशक जिसका शोधन अक्षमता न्यासी एक भागीदार या निदेशक है;

(ख) शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए नियुक्त कोई व्यावसायिक;

(ग) कोई लेनदार या शोधन अक्षम का कोई सहयोगी; और

(घ) ऐसी कोई कंपनी, जिसमें शोधन अक्षम या कोई लेनदार संप्रवर्तक या निदेशक है।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी ऐसा कोई विक्रय नहीं करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्तियों के बीच दुरभिसंधि है -

(क) क्रेता;

(ख) शोधन अक्षम;

(ग) लेनदार;

(घ) शोधन अक्षम या लेनदारों के सहयोगी;

(ङ) कारपोरेट ऋणी; या

(च) कारपोरेट ऋणी का संबद्ध पक्षकार,

और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समुचित आदेशों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

28. शोधन अक्षम द्वारा बाद में अर्जित की गई संपत्ति का अर्जन, आदि।

(1) धारा 150 की उपधारा (2) के अधीन शोधन अक्षम द्वारा सूचना दिए जाने के पश्चात् वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अपनी आय में हुई किसी वृद्धि का परित्याग नहीं करेगा या अर्जित किसी संपत्ति का व्ययन नहीं करेगा।

(2) यदि शोधन अक्षम धारा 150 की उपधारा (2) के अधीन सूचना देने से पूर्व संपत्ति का व्ययन करता है तो वह ऐसे व्ययन से सात दिन के भीतर शोधन अक्षमता न्यासी को उस व्यक्ति के सुसंगत ब्यौरे प्रकट करेगा जिसे संपत्ति अंतरित की गई है और ऐसी कोई अन्य जानकारी भी देगा जो शोधन अक्षमता न्यासी को संपत्ति का पता लगाने और शोधन अक्षमता संपदा के प्रयोजनार्थ उसकी वसूली करने में समर्थन बनाने के लिए आवश्यक हो।

(3) शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा किसी रकम को वापस लाने या उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट संपत्ति का हक अर्जित करने के लिए उपगत कोई व्यय शोधन अक्षमता प्रक्रिया की लागत का भाग गठित करेगा।

29. दुर्भर संपत्ति का दावात्याग

(1) शोधन अक्षमता न्यासी शोधन अक्षम और दुर्भर संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों को धारा 160 की उपधारा (1) के अधीन दावात्याग की सूचना की तामील करने से कम से कम सात दिन पूर्व प्रस्तावित दावात्याग की बाबत अधिसूचित करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन अधिसूचना में संपत्ति का दावात्याग करने संबंधी शोधन अक्षमता न्यासी का आशय, दावात्याग के लिए आशयित संपत्ति की विशिष्टियां और ऐसी संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

(3) धारा 160 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को ऐसी सूचना देने के तीन दिन के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल की जाएगी।

(4) धारा 163 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन, आवेदक के दावात्याग के बारे में अवगत होने या धारा 160 की उपधारा (1) के अधीन दावात्याग की सूचना की तारीख से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तीस दिन के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, दुर्भर संपत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति से अभिप्रेत है -

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो दावात्याग की गई संपत्ति में किसी हित का दावा करता है;

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जो दुर्भर संपत्ति की बाबत किसी दायित्व के अधीन है; या

(ग) जहां दावात्याग की गई संपत्ति एक निवास-गृह है वहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो आवेदन फाइल करने की तारीख को उस निवास-गृह का अधिभोग कर रहा है या अधिभोग करने का हकदार है।

30. आस्तियों का मूल्यांकन

- (1) शोधन अक्षमता न्यासी उन आस्तियों का मूल्यांकन करने के लिए, जो शोधन अक्षम की संपदा का भाग गठित कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, जब उसकी यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या जब समिति द्वारा उस आशय का कोई संकल्प पारित कर दिया गया है, एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त करेगा।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक शोधन अक्षम की आस्तियों का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् शोधन अक्षमता न्यासी को अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार संगणित आस्तियों के वसूलनीय मूल्य के आकलन प्रस्तुत करेगा।
- (3) शोधन अक्षमता न्यासी शोधन अक्षम की आस्तियों के मूल्यांकन के लिए एक अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त कर सकेगा, यदि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, जो उप-विनियम (2) के अनुसार अपना आकलन स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करेगा।
- (4) उप-विनियम (3) के अधीन कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त किए जाने की दशा में, दोनों मूल्यांककों से प्राप्त आकलनों के औसत को आस्तियों का मूल्य समझा जाएगा।

31. प्रतिभूति हित की वसूली

- (1) ऐसा प्रतिभूत लेनदार, जो अपनी प्रतिभूति की वसूली की ईप्सा करता है, शोधन अक्षमता न्यासी को वह कीमत सूचित करेगा जिस पर उसका प्रतिभूत आस्ति की वसूली करने का प्रस्ताव है।।
- (2) शोधन अक्षमता न्यासी ऐसे क्रेता की पहचान करने का प्रयत्न करेगा जो प्रतिभूति को उप विनियम (1) में सूचित कीमत से उच्च कीमत पर खरीदने को तैयार हो और वह अस्ति उस क्रेता को, यदि उपलब्ध हो, उस उच्च कीमत पर विक्रय करेगा।
- (3) जहां प्रतिभूति की वसूली उप-विनियम (2) के अधीन की गयी है, ऐसे क्रेता की पहचान करने की लागत, शोधन अक्षमता प्रक्रिया लागत में आएगी।
- (4) यदि शोधन अक्षमता न्यासी उप-विनियम (2) के अधीन किसी क्रेता की पहचान नहीं करता है या इस प्रकार अभिलक्षित व्यक्ति प्रतिभूत आस्ति का क्रय नहीं करता है तो प्रतिभूत लेनदार प्रतिभूत आस्ति की वसूली उस रीति में कर सकेगा, जो वह उचित समझे किन्तु कम से कम उप-विनियम (1) के अधीन सूचित कीमत पर और वह क्रेता की पहचान करने की लागत वहन करेगा।
- (5) यदि प्रतिभूति की वसूली उप-विनियम (4) के बाहर की जाती है तो क्रेता की पहचान करने की लागत शोधन अक्षमता प्रक्रिया की लागत का भाग गठित करेगी।

अध्याय 6

शोधन अक्षमता प्रक्रिया के आगम और आगमो का वितरण

32. शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए बैंक खाता

- (1) शोधन अक्षमता न्यासी शोधन अक्षम को देय सभी धनराशियों की प्राप्ति के लिए किसी अनुसूचित बैंक में शोधन अक्षम के नाम में एक बैंक खाता खोलेगा, जिसके बाद "शोधन अक्षमता प्रक्रिया में" शब्द होंगे।
- (2) शोधन अक्षमता न्यासी, उप-विनियम (1) के अधीन खोले गए बैंक खाते में सभी धनराशियां, जिसके अंतर्गत शोधन अक्षम के शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में उसके द्वारा प्राप्त चेक और मांगदेय ड्राफ्ट भी हैं, जमा करेगा और प्रत्येक दिन की वसूलियों को अगले कार्य दिवस के अपश्चात् कोई कटौती किए बिना बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
- (3) शोधन अक्षमता न्यासी, शोधन अक्षमता प्रक्रिया की लागत को पूरा करने के लिए दस हजार या ऐसी उच्चतर रकम की, जो न्यायनिर्णायन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए, नकदी रखेगा।
- (4) शोधन अक्षमता न्यासी द्वारा खाते में से पांच हजार रुपए से अधिक के सभी संदाय आहरित चेक द्वारा या बैंक खाते में से आनलाइन बैंकिंग संव्यवहारों द्वारा किए जाएंगे।

33. मृत लेनदार के दावेदार को लाभांश का वितरण

- (1) यदि किसी मृत लेनदार के दावेदार या वारिस द्वारा ऐसे मृत लेनदार को संदेय लाभांश प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो शोधन अक्षमता न्यासी लाभांश प्राप्त करने संबंधी दावेदार के अधिकार और हक के बारे में अपना समाधान करेगा और ऐसे अधिकार या हक के संबंध में साक्ष्य की मांग कर सकेगा।
- (2) शोधन अक्षमता न्यासी, उप-विनियम (1) के अनुसार दावे की सत्यता के बारे में संतुष्ट हो जाने पर ऐसे लाभांश का संदाय करने या दावेदार को लौटाने की मंजूरी के लिए न्यायनिर्णायन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

34. लाभांश का वितरण

(1) शोधन अक्षमता न्यासी, धारा 174 और धारा 178 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लाभांश का वितरण तब तक आरंभ नहीं करेगा जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रारंभिक रिपोर्ट फाइल नहीं कर दी जाती है।

(2) इस विनियम के अधीन किसी लाभांश का वितरण करने से पूर्व शोधन अक्षमता प्रक्रिया की लागत की कटौती की जाएगी।

35. रकम की वापसी

कोई लेनदार उसके द्वारा वितरण में प्राप्त की गई ऐसी किसी रकम को, जिसका वह वितरण के समय या उसके बाद हकदार नहीं था, तुरंत लौटा देगा।

36. शोधन अक्षमता या अवितरित आस्तियों के अदावाकृत आगम

(1) शोधन अक्षमता न्यासी, विनियम 11 के अधीन अंतिम रिपोर्ट फाइल करने के पश्चात्, इस प्रकार फाइल करने की तारीख से तीन दिन के भीतर शोधन अक्षमता प्रक्रिया के किसी अदावाकृत लाभांश या अवितरित आस्ति या लेनदारों को संदेय कोई अन्य अतिशेष रकम, जो उसके पास रह गई हो, संहिता के अधीन गठित दिवाला और शोधन अक्षमता निधि में जमा करने के आदेश के लिए न्यायनिर्णायन प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी, ऐसी किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो बोर्ड द्वारा अधिरोपित की जाए, उप-विनियम (1) के अधीन उसके द्वारा प्रतिधारित रकम पर बारह प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा, यदि वह –

(क) फाइल किए जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर न्यायनिर्णायन प्राधिकारी को आवेदन करने में;

(ख) न्यायनिर्णायन प्राधिकारी के आदेश की तारीख से तीन दिन के भीतर निधि में जमा करने में,

असफल रहता है।

(3) शोधन अक्षमता न्यासी, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट रकम को जमा करते समय बोर्ड को निम्नलिखित उपवर्णित करते हुए एक विवरणी देगा –

(क) अदावाकृत लाभांश या अवितरित आस्ति या किसी अन्य अतिशेष के हकदार लेनदारों के नाम और उसका अंतिम ज्ञात पता;

(ख) प्रत्येक लेनदार के लिए (क) के अधीन अदावाकृत लाभांश या किसी अन्य अतिशेष की रकम;

(ग) अवितरित आस्तियों का मूल्य।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी, उप-विनियम (2) के अधीन उसके द्वारा जमा की गई किसी रकम के लिए बोर्ड से रसीद का हकदार होगा और ऐसी रसीद उसके द्वारा जमा कराने का सबूत होगा।

(5) ऐसा व्यक्ति, जो दिवाला और शोधन अक्षमता निधि में संदत्त की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है, दावा की गई रकम के संदाय के लिए आदेश करने के लिए बोर्ड को आवेदन कर सकेगा।

(6) बोर्ड, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट व्यक्ति दावा की गई संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का हकदार है, उस व्यक्ति से ऐसी प्रतिभूति लेने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उसे देय रकम का उस व्यक्ति को संदाय करने का आदेश कर सकेगा।

(7) उप-विनियम (1) के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता निधि में संदत्त कोई ऐसी रकम, जो पन्द्रह वर्ष की अवधि तक अदावाकृत रहती है, दिवाला और शोधन अक्षमता निधि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने योग्य होगी।

37. ऋण परामर्श

शोधन अक्षम को, शोधन अक्षमता प्रक्रिया के संदर्भ में, ऐसी व्यक्तियों द्वारा जिन्हें यथास्थिति, बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दी जाए, ऋण परामर्श दिया जा सकता है।

प्ररूप क**शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में कार्य करने की लिखित सहमति**

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 3(3) के अधीन]

[तारीख]

सेवा में

न्यायनिर्णायन प्राधिकारी
(पीठ का नाम)

प्रेषक

[दिवाला व्यावसायिक का नाम]

[दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक]

[बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक का पता]

विषय: शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में कार्य करने की लिखित सहमति ।

1. मैं (नाम) (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम) में नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक यह उल्लेख करता हूँ कि मुझे (शोधन अक्षमता का नाम) की शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है ।

2. मैं, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 3(3) के अनुसरण में प्रस्तावित नियुक्ति के संबंध में अपनी सहमति देता हूँ ।

3. मैं निम्नलिखित रूप में घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ:-

(क) मैं बोर्ड के पास दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूँ ।

(ख) मैं बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक संस्था द्वारा आरंभ की गई किसी अनुशासनिक कार्यवाही के अध्यक्ष नहीं हूँ ।

(ग) मैं शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए किसी निःशक्तता से ग्रस्त नहीं हूँ ।

(घ) मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 3 और संहिता और विनियमों के अन्य लागू उपबंधों के अधीन शोधन अक्षमता के शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र हूँ ।

(ङ) मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 में उपवर्णित दिवाला व्यावसायिक के लिए आचार-संहिता के अनुसार प्रकटन करूंगा ।

(च) मेरे पास निम्नलिखित प्रक्रियाएं प्रचालन में हैं:

क्रम सं.	भूमिका का स्वरूप	सहमति की तारीख को प्रक्रियाओं की संख्या
1	अंतरिम समाधान व्यावसायिक	
2	क. कारपोरेट ऋणियों ख. व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं या व्यष्टियों या भागीदारी फर्मों का समाधान व्यावसायिक	
3	क. समापन प्रक्रिया ख. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया का परिसमापक	
4	शोधन अक्षमता न्यासी	
5	प्राधिकृत प्रतिनिधि	
6	कोई अन्य (कृपया वर्णन करें)	

तारीख:

स्थान: (दिवाला व्यावसायिक के हस्ताक्षर)

रजिस्ट्रीकरण सं.....

प्ररूप ख**प्रॉक्सी नियुक्त करने का प्ररूप**

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूति-दाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 26(2) के अधीन]

शोधन अक्षम का पूरा नाम -

[शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए मामले का नाम/आवेदन संख्यांक अंतःस्थापित करें]

लेनदार का पूरा नाम

पता	वर्तमान	स्थायी	कारबार
पहचान संख्यांक	आधार सं.	पैन	सी.आई.एन. जी.एस.टी.आई.एन.
ईमेल			

में (लेनदार का नाम अंतःस्थापित करें) शोधन अक्षम के ऋण में (मतदान अंश की प्रतिशतता अंतःस्थापित करें) धारण करने के कारण, निम्नलिखित को -

1 पूरा नाम

पता	वर्तमान	स्थायी	कारबार
पहचान संख्यांक	आधार सं.	पैन	सी.आई.एन. जी.एस.टी.आई.एन.
ईमेल			
हस्ताक्षर			

या उसके न हो सकने पर

2 पूरा नाम

पता	वर्तमान	स्थायी	कारबार
पहचान संख्यांक	आधार सं.	पैन	सी.आई.एन. जी.एस.टी.आई.एन.
ईमेल			
हस्ताक्षर			

समिति की (बैठक की तारीख और समय अंतःस्थापित करें) को... (बैठक का स्थान अंतःस्थापित करें) पर होने वाली बैठक में और उसके किसी स्थगन में मेरी ओर से उपस्थित होने और नीचे यथा-सूचीबद्ध बैठक की सूचना में उपदर्शित विषयों की बाबत (सूचना के ब्यौरे दें) मेरी ओर से मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ -

(कार्यसूची में सूचीबद्ध विषय अंतःस्थापित करें)

----- (तारीख, मास और वर्ष अंतःस्थापित करें) को इस पर हस्ताक्षर किए।

लेनदार के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

अनुसूची 1**शोधन अक्षमता न्यासी की फीस****[विनियम 4(2) के अधीन]**

वसूली की रकम (रुपयों में) (घटा शोधन अक्षमता प्रक्रिया लागत)	वसूल की गई रकम पर फीस की प्रतिशतता			
	प्रथम छह मास में	अगले तीन मास में	अगले तीन मास में	उसके पश्चात्
प्रथम 25 लाख पर	10.00	7.50	5.00	3.75
अगले 50 लाख पर	7.5	5.00	3.75	2.80
अगले एक करोड़ पर	5.00	3.75	2.50	1.88
अगले 9 करोड़ पर	3.75	2.80	1.88	1.41
अगले 40 करोड़ पर	2.50	1.88	1.25	0.94
अगले 50 करोड़ पर	1.25	0.94	0.68	0.51
वसूल की गई अतिरिक्त धनराशियों पर	0.25	0.19	0.13	0.10
वितरण की रकम (रुपयों में)	वितरित की गई रकम पर फीस की प्रतिशतता			
	प्रथम 50 लाख पर	अगले 75 लाख पर	अगले एक करोड़ पर	अगले 9 करोड़ पर
प्रथम 50 लाख पर	5.00	3.75	3.00	1.88
अगले 75 लाख पर	3.75	3.00	1.88	1.41
अगले एक करोड़ पर	2.50	1.88	1.25	0.94
अगले 9 करोड़ पर	1.88	1.40	0.94	0.71
अगले 40 करोड़ पर	1.25	0.94	0.63	0.47
अगले 50 करोड़ पर	0.63	0.48	0.34	0.25
वसूल की गई अतिरिक्त धनराशियों पर	0.13	0.10	0.06	0.05

अनुसूची 2**विक्रय की पद्धति****[विनियम 27 के अधीन]****भाग क – नीलामी**

- (1) जहां किसी आस्ति का विक्रय नीलामी के माध्यम से किया जाना है वहां शोधन अक्षमता न्यासी उसमें विनिर्दिष्ट रीति में ऐसा करेगा।
- (2) शोधन अक्षमता न्यासी आस्ति के विक्रय के लिए लिखित में एक विक्रय रणनीति तैयार करेगा और यदि आवश्यक हो तो विपणन व्यावसायिकों की सहायता ले सकेगा, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को विनियम 10 के अधीन प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) विपणन रणनीति के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हो सकेगा –

- (क) आस्ति की नीलामी के लिए विज्ञापन जारी करना;
- (ख) आस्ति के लिए सूचना पत्र तैयार करना;
- (ग) विक्रय की सूचना तैयार करना; और
- (घ) अभिकर्ता से संपर्क करना।

(4) शोधन अक्षमता न्यासी विक्रय के निबंधन और शर्तें तैयार करेगा, जिनके अंतर्गत, आरक्षित कीमत, अग्रिम धन जमा, बोली-पूर्व अर्हता और पूरा संदाय करने के लिए समय अवधि हैं।

(5) आरक्षित कीमत विनियम 30 के अनुसार निकाला गया आस्ति का मूल्य होगा और ऐसा मूल्यांकन छह मास से अधिक पुराना नहीं होगा :

परन्तु ऐसी कीमत पर नीलामी के असफल होने की दशा में, शोधन अक्षमता न्यासी, समिति से परामर्श करके, पश्चात्पूर्व नीलामियां करने के लिए ऐसी आरक्षित कीमत को घटाकर ऐसे मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत तक कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कीमत को घटाकर पचहत्तर प्रतिशत तक करने के बावजूद किसी नीलामी के असफल होने की दशा में, समिति के अनुमोदन से कीमत को और घटाया जा सकेगा।

(6) शोधन अक्षमता न्यासी हितबद्ध क्रेताओं द्वारा सम्यक् तत्परता के संचालन के लिए कोई सहायता, यदि आवश्यक हो, प्रदान करेगा।

(7) शोधन अक्षमता न्यासी आस्तियों का विक्रय किसी आनलाइन पोर्टल पर या बोर्ड द्वारा अभिहित किसी पोर्टल पर (यदि कोई है) इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से करेगा, जहां हितबद्ध क्रेता आनलाइन रजिस्टर कर सकता है, बोली लगा सकता है और अपनी बोली की स्वीकृति की पुष्टि प्राप्त कर सकता है।

(8) शोधन अक्षमता न्यासी आस्तियों का विक्रय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से भौतिक नीलामी द्वारा कर सकता है, यदि उसकी यह राय हो कि इससे आस्तियों के विक्रय से अधिकतम वसूली होगी और यह लेनदारों के सर्वोत्तम हित में है।

(9) शोधन अक्षमता न्यासी ऐसे अर्हित व्यावसायिक नीलामीकर्ताओं की सेवाएं ले सकेगा, जिन्हें आस्तियों की नीलामी करने में विशिष्टता प्राप्त है, बशर्ते ऐसा नीलामीकर्ता विनियम 5 में दी गई अपेक्षाओं पूरी करता हो।

(10) नीलामी पारदर्शी होगी और जब तक शोधन अक्षमता न्यासी ने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से बोली की कीमत की दृश्यमानता के संबंध में अन्यथा अनुज्ञा करते हुए अनुज्ञा प्राप्त न की हो, किसी विशिष्ट समय पर उच्चतम बोली अन्य बोलीकर्ताओं को दृश्यमान होगी।

(11) शोधन अक्षमता न्यासी, यदि अपेक्षित हो, आस्तियों के विक्रय से अधिकतम वसूली करने और लेनदारों के सर्वोत्तम हितों का संवर्धन करने की दृष्टि से नीलामियों के कई दौर चला सकेगा।

(12) नीलामी की समाप्ति पर, उच्चतम बोलीकर्ता को संदाय सारणी संसूचित की जाएगी। पूरी रकम का संदाय कर दिए जाने पर, शोधन अक्षमता न्यासी विक्रय का निष्पादन करेगा और आस्ति को विक्रय के निबंधनों में विनिर्दिष्ट रीति में अंतरित कर दिया जाएगा।

भाग ख- प्राइवेट विक्रय

(1) जहां किसी आस्ति का विक्रय प्राइवेट विक्रय के माध्यम से किया जाना है वहां शोधन अक्षमता न्यासी इसमें विनिर्दिष्ट रीति में विक्रय का संचालन करेगा।

(2) शोधन अक्षमता न्यासी, प्राइवेट विक्रय द्वारा बेची जाने वाली आस्तियों के लिए हितबद्ध क्रेताओं तक पहुंच के लिए लिखित में एक विक्रय रणनीति तैयार करेगा, जो कि विनियम 10 के अधीन प्रगति रिपोर्ट के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) प्राइवेट विक्रय का संचालन संभावित क्रेताओं या उसके अभिकर्ताओं से सीधे संपर्क करके, खुदरा दुकानों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से किया जाएगा, जिससे आस्तियों के विक्रय से अधिकतम वसूली होनी की संभावना हो।

(4) विक्रय का पूरा होना और आस्तियों का परिदान विक्रय के निबंधनों के अनुसार होगा।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./299/19]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2019

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (BANKRUPTCY PROCESS FOR PERSONAL GUARANTORS TO CORPORATE DEBTORS) REGULATIONS, 2019

No. IBBI/2019-20/GN/REG051.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196, and clauses (zr) and (zs) of sub-section (1) of section 240 read with clause (e) of section 2 and section 60 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations, namely -

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.

- (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force from the 1st day of December, 2019.
- (3) These regulations shall apply to the bankruptcy process for personal guarantors to corporate debtors.

2. Definitions.

In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) “associate” in relation to a creditor, a bankruptcy trustee or professionals appointed by the bankruptcy trustee shall have the same meaning as assigned to it in relation to a debtor in sub-section (2) of section 79, as may be applicable;
- (b) “bankruptcy process costs” shall mean -
 - (i) the fees payable to the bankruptcy trustee;
 - (ii) payments and expenses referred to in sub-regulation (1) of regulation 5, sub-regulation (4) of regulation 6, sub-clause (ii) of clause (c) and clause (f) of sub-regulation (3) of regulation 10, sub-regulation (3) of regulation 28, and sub-regulation (3) of regulation 31;
 - (iii) such other costs and expenses directly relatable to the bankruptcy process,

to the extent approved or ratified by the committee;

- (c) “Code” means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
- (d) “committee” means the committee of creditors as defined in sub-section (11) of section 79;
- (e) “corporate debtor” means a corporate person for whom the guarantor has given a personal guarantee;
- (f) “electronic means” means an authorised and secured computer programme which is capable of producing confirmation of sending communication to the participant entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by such participant and keeping record of such communication;
- (g) “form” means a form appended to these regulations;
- (h) “participant” means a person entitled to attend a meeting of the committee and includes a creditor, , bankrupt, bankruptcy trustee, and any other person authorised by the committee to attend such meeting;
- (i) “registered valuer” means a person registered as such in accordance with the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and the rules made thereunder;
- (j) “related party” in relation to a corporate debtor shall have the meaning assigned to it in sub-section (24) of section 5;
- (k) “section” means a section of the Code;
- (l) words and expressions used and not defined in these regulations, but defined in the Code and the Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority for Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Rules, 2019, shall have the respective meanings assigned to them in the Code and in the said rules.

CHAPTER II
BANKRUPTCY TRUSTEE

3. Eligibility of bankruptcy trustee.

- (1) An insolvency professional shall be eligible to be appointed as a bankruptcy trustee for a bankruptcy process, if-
 - (a) he, the insolvency professional entity of which he is a partner or a director, and all the partners and directors of the said insolvency professional entity are independent of the guarantor;
 - (b) he is not subject to any ongoing disciplinary proceeding or a restraint order of the Board or of the insolvency professional agency of which he is a professional member; and
 - (c) the insolvency professional entity of which he is a partner or a director, or any other partner or director of such insolvency professional entity does not represent any party in the bankruptcy process.

Explanation. - For the purposes of this sub-regulation, a person shall be considered independent of the guarantor, if he-

- (a) is not an associate of the guarantor;
 - (b) is not a related party of the corporate debtor; and
 - (c) has not acted or is not acting as interim resolution professional, resolution professional or liquidator in respect of the corporate debtor.
- (2) A bankruptcy trustee, who has been an auditor of the guarantor at any time during the preceding three years, shall make a disclosure of remuneration received, year-wise for such audit, to the committee.
- (3) An insolvency professional, other than who has filed an application under section 122 or 123 on behalf of a guarantor or a creditor, as the case may be, shall provide a written consent in Form A to the Adjudicating Authority before his appointment as bankruptcy trustee in a bankruptcy process.

4. Fees of bankruptcy trustee.

- (1) The bankruptcy trustee shall be entitled to such fee and the fee shall be paid in such manner as decided by the committee.
- (2) In all cases other than those covered under sub-regulation (1), the bankruptcy trustee shall be entitled to a fee as a percentage of the amount realised from the estate of the bankrupt and of the amount distributed from such realisation, in accordance with Schedule I.

5. Appointment of professionals.

- (1) A bankruptcy trustee may appoint accountants, registered valuers, advocates or other professionals, as may be necessary, to assist him in the discharge of his duties, obligations and functions for a reasonable remuneration and such remuneration shall form part of the bankruptcy process cost:

Provided that the following persons shall not be appointed under this regulation, namely-

- (a) a relative of the bankruptcy trustee;
 - (b) a partner or director of the insolvency professional entity of which the bankruptcy trustee is a partner or director;
 - (c) an insolvency professional who has acted or is acting as an interim resolution professional, a resolution professional or a liquidator in respect of the corporate debtor;
 - (d) an associate of the bankrupt;
 - (e) a related party of the corporate debtor.
- (2) Before appointing a professional under sub-regulation (1), the bankruptcy trustee shall obtain a disclosure of details of the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the creditors, the bankruptcy trustee, the corporate debtor or the bankrupt, from the professional.

6. Registers and books.

- (1) Where the books of account of the bankrupt are incomplete on the bankruptcy commencement date, the bankruptcy trustee shall get them completed and brought up-to-date within sixty days of the bankruptcy commencement date.
- (2) The bankruptcy trustee shall maintain cash book, ledgers, registers and such other books, as may be required for the administration of the estate of the bankrupt.
- (3) Where the bankruptcy trustee is authorised to carry on the business of the bankrupt, he shall keep separate books of account in respect of such business and such books shall, as far as possible, be in conformity with the books already kept by the bankrupt in the course of its business.
- (4) The bankruptcy trustee shall keep receipts for all payments made or expenses incurred by him in relation to the bankruptcy process.

7. Reports by bankruptcy trustee.

The bankruptcy trustee shall prepare and submit the following reports to the Adjudicating Authority and the committee -

- (a) a preliminary report;
- (b) progress reports; and
- (c) a final report.

8. Preliminary report.

- (1) The bankruptcy trustee shall submit a preliminary report to the Adjudicating Authority and the committee within ninety days of the bankruptcy commencement date.
- (2) The bankruptcy trustee shall send a copy of the preliminary report to the bankrupt at the time of submission of the report.
- (3) The preliminary report shall include the following details-
 - (a) a list of the assets and liabilities of the bankrupt as on the bankruptcy commencement date based on the books of the bankrupt:

Provided that if the bankruptcy trustee has reasons to believe, to be recorded in writing, that the books of the bankrupt are not reliable, he shall also provide such estimates based on reliable records and data otherwise available to him.
 - (b) the proposed plan of action in relation to administration of the estate, including the timeline in which it is proposed to be carried out and the estimated costs;
 - (c) any further inquiry to be made in respect of the assets, business or affairs of the bankrupt;
 - (d) details of the assets which are intended to be realised, including the following-
 - (i) value of the assets, valued in accordance with regulation 33;
 - (ii) intended manner of realisation of the assets and reasons thereof;
 - (iii) expected amount of realisation;
 - (iv) any other information that may be relevant for the realisation of the assets.
 - (e) details of the excluded assets and other assets under sub-section (2) of section 155.
- (4) The preliminary report shall be confidential during the bankruptcy process, unless the Adjudicating Authority permits any person to access it subject to such terms and conditions, as it may consider appropriate.

9. Early completion of administration.

At the time of the preparation of the preliminary report or any time thereafter, if it appears to the bankruptcy trustee that –

- (a) the realisable assets of the bankrupt are insufficient to cover the costs of bankruptcy process; and
- (b) the affairs of the bankrupt do not require further investigation,

he may apply to the Adjudicating Authority for an early discharge order.

10. Progress reports.

- (1) The bankruptcy trustee shall submit progress reports to the Adjudicating Authority and to the committee within fifteen days after the end of every quarter:

Provided that if an insolvency professional ceases to act as a bankruptcy trustee during the bankruptcy process, he shall file a progress report for the quarter up to the date of his so ceasing to act, within fifteen days of such cessation.

- (2) The bankruptcy trustee shall send a copy of the progress report to the bankrupt at the time of submission of the report under sub-regulation (1).
- (3) The progress report shall include-
 - (a) appointment, tenure of appointment and cessation of appointment of professionals;
 - (b) a statement indicating the progress in the bankruptcy process containing-
 - (i) distribution of dividend and interim dividend;
 - (ii) any material change in the expected realisation for any asset and basis for such change;
 - (iii) any material change in the value of assets or liabilities of the bankrupt and basis for such change;
 - (iv) any material change on estimated cost of bankruptcy process and basis for such change;
 - (v) distribution of unsold property made to the creditors;
 - (vi) details of any property that remains to be realised;

- (vii) list of creditors; and
- (viii) any other relevant information.
- (c) an asset sale report with the following details of the assets realised—
- (i) realised value;
 - (ii) cost of realisation;
 - (iii) manner and mode of realisation, including details as per Schedule II;
 - (iv) reasons for any reduction in the realisable value compared to the value mentioned in the preliminary report; and
 - (v) details of the persons in favour of whom the property has been realised.
- (d) details of fee and remuneration due to and received by the bankruptcy trustee along with a description of the activities carried out by him;
- (e) details of the fee and remuneration paid to professionals appointed by the bankruptcy trustee along with a description of activities carried out by them;
- (f) other expenses incurred by the bankruptcy trustee in relation to the bankruptcy process;
- (g) status of any material litigation by or against the bankrupt;
- (h) filing of and developments in relation to disclaimer of onerous properties or leasehold interests under sections 160 and 162, or transactions under sections 164, 165 and 167.
- (i) accounts maintained by the bankruptcy trustee showing the receipts and payments made during the period of the report, as well as cumulative receipts and payments made since the bankruptcy commencement date; and
- (j) any other relevant aspect of the bankruptcy process.
- (4) The progress report for the fourth quarter of the financial year shall enclose audited accounts of the receipts and payments of the bankrupt for the financial year.
- (5) The progress reports shall be confidential during the bankruptcy process, unless the Adjudicating Authority permits any person to access it on specified terms and conditions.

Illustration

Where an insolvency professional becomes a bankruptcy trustee on 13th February, 2020 and ceases to act as such on 12th February, 2021, he shall submit progress reports as under:

Report No.	Period covered in the Quarter	Last Date of Submission of Report
1	13th February - 31st March, 2020	15th April, 2020
2	April - June, 2020	15th July, 2020
3	July - September, 2020	15th October, 2020
4	October - December, 2020	15th January, 2021
5	January - 12th February, 2021	27th February, 2021

He shall submit the audited accounts of receipts and payments as under:

Account No.	Period covered in the Quarter	Last Date of Submission of Report
1	13th February - 31st March, 2020	15th April, 2020
2	1st April, 2019 - 12th February, 2021	27th February, 2021

11. Final report.

- (1) The final report shall contain an account of the completion of the administration and distribution of the estate of the bankrupt, including -
- (a) manner of realisation of the assets of the bankrupt;
 - (b) manner of distribution of the dividends amongst the creditors;

- (c) details regarding the discharge of the bankrupt;
 - (d) unclaimed dividend, if any;
 - (e) surplus dividend, if any; and
 - (f) if the bankruptcy process cost exceeds the estimated cost provided in the preliminary report, along with reasons for the same.
- (2) The bankruptcy trustee shall file the final report with the Adjudicating Authority along with the application under sub-section (1) of section 138.

12. Persons to extend cooperation.

- (1) The following persons shall extend all assistance and cooperation to the bankruptcy trustee to complete the bankruptcy process-
- (a) the bankrupt;
 - (b) creditors of the bankrupt;
 - (c) employees and workmen of the bankrupt;
 - (d) partners of the bankrupt;
 - (e) auditors of the bankrupt;
 - (f) professionals appointed by the bankruptcy trustee under these regulations;
 - (g) the resolution professional or the previous bankruptcy trustee of the bankrupt;
 - (h) the interim resolution professional, the resolution professional and the liquidator in respect of the corporate debtor;
 - (i) any person who has possession of any of the properties of the bankrupt; and
 - (j) any other person connected or relevant to the bankruptcy process.
- (2) The bankruptcy trustee shall record and maintain the particulars of any consultation he had with the persons mentioned in sub-regulation (1).
- (3) Where the bankruptcy trustee after making reasonable efforts fails to obtain the information or cooperation from persons under sub-regulation (1), he may make an application to the Adjudicating Authority for appropriate directions as may be necessary for the conduct of the bankruptcy process.

13. Preservation of records.

The bankruptcy trustee shall preserve a physical or electronic copy of the registers, books, reports, minutes of meetings and other records relating to bankruptcy process, including administration of estate of the bankrupt as per the record retention schedule as may be communicated by the Board in consultation with insolvency professional agencies.

CHAPTER III

CLAIMS

14. Future claims.

- (1) A person, who is entitled to distribution in the same manner as any other creditor, may submit a claim, which is not due and payable on the bankruptcy commencement date, to the bankruptcy trustee.
- (2) Subject to any contract to the contrary, the person under sub-regulation (1) shall be entitled to the principal amount and the interest that has accrued till the bankruptcy commencement date.

15. Negotiable instruments.

Where a person seeks to prove a claim in respect of a bill of exchange, promissory note or other negotiable instrument or security of a like nature for which the bankrupt is liable, a certified true copy of the same shall accompany the claim.

16. Periodical payments.

In the case of rent, interest and such other payments of a periodical nature, a person may claim only for any amounts due and unpaid up to the bankruptcy commencement date.

17. Determination of quantum of claim.

Where the amount claimed by a claimant is not precise due to any reason, the bankruptcy trustee shall make the best estimate of the amount of the claim based on the information available with him.

18. Debt in foreign currency.

The claims denominated in foreign currency shall be valued in Indian currency at the official exchange rate as on the bankruptcy commencement date.

Explanation. – For the purposes of this regulation, “official exchange rate” means the reference rate published by the Reserve Bank of India or derived from such reference rate.

19. Transfer of debt due to creditors.

(1) Where a creditor assigns or transfers the debt to any person during the bankruptcy process period, both parties shall provide the bankruptcy trustee the terms of such assignment or transfer, and the identity and details of the assignee or transferee.

(2) The bankruptcy trustee shall notify each creditor and the Adjudicating Authority of any resultant change in the committee within two days of such change.

20. Committee of creditors.

(1) The bankruptcy trustee shall prepare a list of creditors, within the timeline mentioned in section 132, containing the following details in respect of each creditor, –

- (a) the name;
- (b) the amount of claim made;
- (c) the amount of claim admitted;
- (d) security interest in respect of the claims, if any; and
- (e) reasons for rejection or admission of claim.

(2) The bankruptcy trustee shall report the establishment of the committee to the Adjudicating Authority within three days from the meeting of the creditors under sub-section (1) of section 134.

(3) The bankruptcy trustee shall modify the list of creditors and the composition of the committee, if required, on the basis of the proof received under section 171.

(4) The list of creditors, and any modification to the committee, mentioned in sub-regulation (3) shall be filed with the Adjudicating Authority within fifteen days from the last date for receipt of proofs of debt, under intimation to other creditors.

(5) Any modification in the list of creditors under sub-regulation (3) shall not affect the validity of any decision taken in any meeting of the committee prior to such modification.

(6) The list of creditors, as modified from time to time and filed with the Adjudicating Authority, shall be –

- (a) available for inspection by the persons who submitted claims with proof;
- (b) available for inspection by partners and guarantors of the bankrupt;
- (c) displayed on the website, if any, of the bankrupt.

CHAPTER IV**MEETINGS OF COMMITTEE AND VOTING****21. Notice for meeting.**

- (1) A bankruptcy trustee may convene a meeting of the committee as and when he considers necessary and shall convene a meeting on a request by creditors having not less than thirty three percent of voting share.
- (2) The notice under this regulation and for the meeting under section 133 shall be served on every participant at the address provided to the bankruptcy trustee.

- (3) A meeting of the committee shall be convened by giving a notice of seven days or such other notice as decided by the committee, provided that such notice shall not be less than forty-eight hours.
- (4) The notice convening the meeting of creditors shall inform the participants of the venue, the time, the date of the meeting and of the options available to -
 - (i) participants to attend the meeting either in person, through video conferencing, or through a proxy; and
 - (ii) creditors to cast vote in person, through a proxy, by electronic means or by electronic proxy, as the case may be.
- (5) The notice of the meeting shall carry the agenda, which shall include the following-
 - (a) list of matters to be discussed;
 - (b) list of issues to be voted upon;
 - (c) relevant documents in relation to the matters to be discussed and issues to be voted upon.
- (6) If an option to attend the meeting through video conferencing is made available to the participants, the notice of the meeting shall -
 - (a) state the process and the manner for attending the meeting;
 - (b) provide the login ID and the details of a facility for generating password for access to the meeting in a secure manner; and
 - (c) provide contact details of the person who shall address the queries connected with the video conferencing.
- (7) If an option to cast vote by electronic means is made available to the creditors, the notice of the meeting shall -
 - (a) state the process and the manner of casting vote by such means;
 - (b) provide the login ID and the details of a facility for generating password for access to the electronic means for casting vote in a secure manner; and
 - (c) provide contact details of the person who shall address the queries connected with the electronic means.

22. Quorum.

- (1) Where a meeting of committee could not be held for want of quorum, unless the committee has previously decided otherwise, the meeting shall automatically stand adjourned to the same time and place on the next day and on that day, no quorum shall be required.
- (2) The bankrupt shall attend a meeting which the bankruptcy trustee may, by notice, require him to attend and any adjournment thereof.

23. Conduct of meeting.

- (1) The bankruptcy trustee shall preside over the meetings of the committee.
- (2) At the commencement of a meeting, the bankruptcy trustee shall take a roll call, when every participant, including those attending by proxy or through video conferencing, shall state, for the record, the following -
 - (a) his name;
 - (b) the capacity in which he is attending;
 - (c) the creditor he is representing, if applicable; and
 - (d) that he has received the agenda and all the relevant material for the meeting.
- (3) After the roll call, the bankruptcy trustee shall inform the participants of the names of all persons who are present for the meeting and confirm if the required quorum is complete.
- (4) The bankruptcy trustee shall ensure that the required quorum is present throughout the meeting.
- (5) From the commencement of the meeting till its conclusion, no person, other than the participants and any other person whose presence is required by the bankruptcy trustee, shall be allowed access to the meeting, without the permission of the bankruptcy trustee.
- (6) The bankruptcy trustee shall ensure that minutes are made in relation to each meeting of the creditors and are circulated to all participants by electronic means within forty-eight hours of the said meeting.

24. Voting share.

- (1) Subject to section 135, the voting share of each creditor shall be in proportion to the debt owed to such creditor.

- (2) The voting share of a secured creditor shall be in proportion to unsecured part of the debt, if any, if it has opted to enforce its security interest.
- (3) The voting share of a secured creditor who has opted to relinquish its security interest shall be in proportion to the amount of debt relinquished.

25. Voting by the committee.

- (1) The bankruptcy trustee shall take a vote of the creditors present in the meeting on any item listed for voting, after discussion on the same.
- (2) At the conclusion of the meeting, the bankruptcy trustee shall prepare minutes of the meeting, including the names of creditors, who voted for, against or abstained from voting on the items put to vote in the meeting.
- (3) The bankruptcy trustee shall-
 - (a) circulate the minutes of the meeting by electronic means to all participants of the meeting within forty-eight hours of the conclusion of the meeting, and
 - (b) seek a vote on the items listed for voting in the meeting from the creditors who were not present in the meeting or did not vote at the meeting, by electronic means, where the voting shall be kept open for at least twenty-four hours from the circulation of the minutes as per clause (a).
- (4) Unless otherwise provided in the Code, any decision of the committee shall require approval of more than fifty percent of voting share of the creditors who voted.
- (5) At the end of the voting period, the bankruptcy trustee shall record the decision arrived at on the items along with the names of creditors who voted for, against or abstained from voting on the items, after considering the voting at the meeting and through the electronic means.
- (6) The bankruptcy trustee shall circulate a copy of the record made under sub-regulation (5) to all participants within twenty-four hours of the conclusion of the voting.

26. Voting by proxy.

- (1) A creditor, who is entitled to vote, shall be entitled to appoint an individual as a proxy, who shall not be an associate of the bankrupt, to attend and vote on behalf.
- (2) For the purpose of sub-regulation (1), a creditor shall deliver Form B, duly completed to the bankruptcy trustee at least twenty-four hours prior to the meeting of committee.
- (3) A proxy may vote by electronic means on behalf of the creditor.

CHAPTER V

REALISATION OF ASSETS

27. Mode of sale.

- (1) The bankruptcy trustee shall ordinarily sell the assets of the bankrupt through an auction as specified in Part A of Schedule II.
- (2) The bankruptcy trustee may sell the assets by private sale, in the manner specified in Part B of Schedule II if-
 - (a) the asset is perishable in nature;
 - (b) the value of the asset is likely to deteriorate significantly if the sale is delayed; or
 - (c) the selling price of the asset is higher than the reserve price of a failed auction.
- (3) The following persons shall not purchase or acquire any interest in the property of bankrupt, directly or indirectly, without permission of the Adjudicating Authority—
 - (a) the bankruptcy trustee or any partner or director of the insolvency professional entity of which the bankruptcy trustee is a partner or director;
 - (b) any professional appointed by the bankruptcy trustee for the bankruptcy process;
 - (c) any creditor or associate of the bankrupt; and
 - (d) any company where the bankrupt or a creditor is a promoter or director.
- (4) The bankruptcy trustee shall not proceed with a sale, if he has reason to believe that there is any collusion amongst any one or more of the following persons: -
 - (a) the buyers;

- (b) the bankrupt;
- (c) the creditors;
- (d) associates of the bankrupt or creditors;
- (e) the corporate debtor; or
- (f) related party of the corporate debtor,

and shall submit a report to the Adjudicating Authority for appropriate orders.

28. Acquisition, etc., of after acquired property by bankrupt.

- (1) After a notice is given by the bankrupt under sub-section (2) of section 150, he shall not part with any increase in his income or dispose of any property acquired, without the prior permission of the Adjudicating Authority.
- (2) If the bankrupt disposes of property before giving the notice under sub-section (2) of section 150, he shall within seven days from such disposal, disclose to the bankruptcy trustee the relevant details of the person to whom the property has been transferred, and shall also provide any other information which may be necessary to enable the bankruptcy trustee to trace the property and recover it for the purpose of bankruptcy estate.
- (3) Any expense incurred by the bankruptcy trustee in bringing back any amount or acquiring title to the property referred to in sub-regulation (2) shall form part of the bankruptcy process costs.

29. Disclaimer of onerous property.

- (1) The bankruptcy trustee shall notify the bankrupt and the persons interested in the onerous property in respect of the proposed disclaimer, at least seven days prior to serving the notice of disclaimer under sub-section (1) of section 160.
- (2) The notification under sub-regulation (1) shall contain the intention of the bankruptcy trustee to disclaim the property, particulars of the property intended to be disclaimed, and details of the interested persons in such property.
- (3) The notice under sub-section (1) of section 160 shall be filed with the Adjudicating Authority within three days of giving such notice to the persons mentioned therein.
- (4) An application under sub-section (1) of section 163 shall be made within thirty days of the applicant becoming aware of the disclaimer or from the date of the notice of disclaimer under sub-section (1) of section 160, whichever is earlier.

Explanation. – For the purpose of this regulation, a person interested in onerous property means –

- (a) any person who claims an interest in the disclaimed property;
- (b) any person who is under any liability in respect of the onerous property; or
- (c) where the disclaimed property is a dwelling house, any person who is in occupation of or entitled to occupy the dwelling house, on the date of filing of application.

30. Valuation of assets.

- (1) The bankruptcy trustee shall appoint a registered valuer to value the assets, which may or may not form part of the bankrupt's estate, when he is of the opinion that it is necessary or when a resolution to that effect has been passed by the committee.
- (2) The registered valuer appointed under sub-regulation (1) shall submit to the bankruptcy trustee the estimates of the realisable value of the asset computed in accordance with internationally accepted valuation standards, after physical verification of the assets of the bankrupt.
- (3) The bankruptcy trustee may appoint an additional registered valuer, for valuing the assets of the bankrupt if required in the circumstances of the case, who shall independently submit his estimate as per sub-regulation (2).
- (4) In the event an additional registered valuer is appointed under sub-regulation (3), the average of the estimates received from both valuers will be considered to be the value of the assets.

31. Realisation of security interest.

- (1) A secured creditor, who seeks to realise his security, shall intimate the bankruptcy trustee of the price at which he proposes to realise the secured asset.

- (2) The bankruptcy trustee shall attempt to identify a buyer willing to purchase the security at a price higher than the price intimated under sub-regulation (1), and the asset shall then be sold to such buyer, if any, at the higher price by the secured creditor.
- (3) Where the secured asset is realised under sub-regulation (2), the cost of identification of the buyer shall form part of bankruptcy process cost.
- (4) If the bankruptcy trustee does not identify a buyer under sub-regulation (2), or the person so identified does not buy the secured asset, the secured creditor may realise the secured asset in the manner it deems fit, but at least at the price intimated under sub-regulation (1) and shall bear the cost of identification of the buyer.
- (5) Where a secured creditor realises his security and the amount realised is in excess of the debts due to the secured creditor, such creditor shall tender such excess to the bankruptcy trustee.

CHAPTER VI

PROCEEDS OF BANKRUPTCY PROCESS AND DISTRIBUTION OF PROCEEDS

32. Bank account for bankruptcy process.

- (1) The bankruptcy trustee shall open a bank account in the name of the bankrupt followed by the words 'in bankruptcy process', in a scheduled bank, for the receipt of all moneys due to the bankrupt.
- (2) The bankruptcy trustee shall deposit in the bank account opened under sub-regulation (1) all moneys, including cheques and demand drafts received by him as the bankruptcy trustee of the bankrupt, and the realisations of each day shall be deposited into the bank account, without any deduction, not later than the next working day.
- (3) The bankruptcy trustee may maintain cash of ten thousand rupees or such higher amount, as may be permitted by the Adjudicating Authority to meet bankruptcy process costs.
- (4) All payments out of the account by the bankruptcy trustee above five thousand rupees shall be made by cheques drawn or online banking transactions against the bank account.

33. Distribution of dividend to claimant of deceased creditor.

- (1) In the event an application is made by a claimant or heir of a deceased creditor for receiving dividend payable to such deceased creditor, the bankruptcy trustee shall satisfy himself as to the claimant's right and title to receive the dividend, and may call for evidence regarding such right or title.
- (2) On being satisfied of the veracity of the claim as per sub-regulation (1), the bankruptcy trustee may apply to the Adjudicating Authority for sanctioning the payment of such dividend or return to the claimant.

34. Distribution of dividend.

- (1) Subject to the provisions of sections 174 and 178, the bankruptcy trustee shall not commence distribution of dividend unless a preliminary report is filed with the Adjudicating Authority.
- (2) The bankruptcy process cost shall be deducted before any dividend is distributed under this regulation.

35. Return of amount.

A creditor shall forthwith return any amount received by him in distribution, which he was not entitled to at the time of distribution, or subsequently.

36. Unclaimed proceeds of bankruptcy or undistributed assets.

- (1) After filing the final report under regulation 11, the bankruptcy trustee shall, within three days from the date of such filing, apply to the Adjudicating Authority for an order to credit to the Insolvency and Bankruptcy Fund formed under the Code, any unclaimed dividends of bankruptcy process or undistributed asset or any other balance amount payable to the creditors, left with him.
- (2) Without prejudice to any penalty that may be imposed by the Board, the bankruptcy trustee shall be liable to pay interest at the rate of twelve percent per annum on the amount retained by him under sub-regulation (1), if he fails to-
 - (a) apply to the Adjudicating Authority within three days from the date of filing;
 - (b) credit to the Fund within three days from the date of order of the Adjudicating Authority.

(3) The bankruptcy trustee shall, when crediting the amount referred to in sub-regulation (1), furnish to the Board, a statement setting forth the following –

- (a) the names and last known address of the creditors entitled to the unclaimed dividend or undistributed asset or any other balance;
- (b) the amount of the unclaimed dividend or any other balance for each creditor under (a);
- (c) the value of the undistributed assets.

(4) The bankruptcy trustee shall be entitled to a receipt from the Board for any amount deposited by him under sub-regulation (2), and such receipt shall be proof of credit by him.

(5) A person claiming to be entitled to any amount paid into the Insolvency and Bankruptcy Fund may apply to the Board for an order for payment of the amount claimed.

(6) The Board may, if satisfied that the person referred to in sub-regulation (5) is entitled to the whole or any part of the amount claimed, make an order for the payment to that person of the sum due to him, after taking such security from him as it may think fit.

(7) Any amount paid into the Insolvency and Bankruptcy Fund under sub-regulation (1), which remains unclaimed for a period of fifteen years, shall be liable to be utilised for the purposes of the Insolvency and Bankruptcy Fund.

37. Debt counselling.

Debt counselling in relation to bankruptcy process may be provided to a bankrupt by such person as may be recognised by the Board or the Central Government, as the case may be.

FORM A

WRITTEN CONSENT TO ACT AS BANKRUPTCY TRUSTEE

(Under regulation 3(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019)

[Date]

To

The Adjudicating Authority

[Name of Bench]

From

[Name of the Insolvency Professional]

[Registration number of the Insolvency Professional]

[Address of the Insolvency Professional registered with the Board]

Subject: Written consent to act as bankruptcy trustee.

1. I, [name], an insolvency professional enrolled with [name of insolvency professional agency] and registered with the Board, note that I have been proposed to be appointed as bankruptcy trustee for the bankruptcy process of [name of the bankrupt].

2. In accordance with regulation 3(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, I hereby give consent to the proposed appointment.

3. I declare and affirm as under: -

- (a) I am registered with the Board as an insolvency professional.
- (b) I am not subject to any disciplinary proceedings initiated by the Board or the Insolvency Professional Agency.
- (c) I do not suffer from any disability to act as a bankruptcy trustee.
- (d) I am eligible to be appointed as bankruptcy trustee of the bankrupt under regulation 3 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 and other applicable provisions of the Code and regulations.

(e) I shall make the disclosures in accordance with the code of conduct for insolvency professionals as set out in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016;

(f) I have the following processes in hand:

Sl. No.	Role as	No. of processes on the date of consent
1	Interim Resolution Professional	
2	Resolution Professional of:	
	a. Corporate debtors	
	b. Personal guarantors or individuals or partnership firms	
3	Liquidator of:	
	a. Liquidation Process	
	b. Voluntary Liquidation Process	
4	Bankruptcy Trustee	
5	Authorised Representative	
6	Any other (please state)	

Date:

Place:

(Signature of Insolvency Professional)
Registration No.....

FORM B

Form to appoint proxy

(Under regulation 26(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019)

Full name of the bankrupt: [Insert matter name / application number for the bankruptcy process]

Full Name of Creditor				
Address	Present	Permanent	Business	
Identification number	Aadhaar Number	PAN	CIN	GSTIN
Email				

I, being [insert name of creditor] holding [insert voting share] of the debt of the bankrupt, hereby appoint:

1.	Full name				
	Address	Present	Permanent	Business	
	Identification Number	Aadhaar Number	PAN	CIN	GSTIN
	E-mail				
Signature					

or failing him;

2.	Full name				
	Address	Present	Permanent	Business	
	Identification Number	Aadhaar Number	PAN	CIN	GSTIN
	E-mail				
Signature					

as my proxy to attend and vote for me and on my behalf at the meeting of the committee to be held on *[insert date and time of meeting]* at *[insert venue of the meeting]*, and at any adjournment thereof in respect of the matters indicated in the notice of the meeting *[provide details of the notice]*, as listed below:

[insert matters as listed in the agenda]

Signed this *[insert date]* day of *[insert month]* *[insert year]*

Signature of creditor:

Signature of proxy:

SCHEDULE I

FEES OF BANKRUPTCY TRUSTEE

[Under regulation 4(2)]

Amount of realisation in rupees (less bankruptcy process cost)	Percentage of fee on the amount realised			
	in the first six months	in the next three months	in the next three months	thereafter
On the first 25 lakh	10.00	7.50	5.00	3.75
On the next 50 lakh	7.50	5.00	3.75	2.80
On the next 1 crore	5.00	3.75	2.50	1.88
On the next 9 crore	3.75	2.80	1.88	1.41
On the next 40 crore	2.50	1.88	1.25	0.94
On the next 50 crore	1.25	0.94	0.68	0.51
On further sums realised	0.25	0.19	0.13	0.10
Amount of distribution in rupees	Percentage of fee on the amount distributed			
On the first 50 lakh	5.00	3.75	3.00	1.88
On the next 75 lakh	3.75	3.00	1.88	1.41
On the next 1 crore	2.50	1.88	1.25	0.94
On the next 9 crore	1.88	1.40	0.94	0.71
On the next 40 crore	1.25	0.94	0.63	0.47
On the next 50 crore	0.63	0.48	0.34	0.25
On further sums distributed	0.13	0.10	0.06	0.05

SCHEDULE II**Mode of sale**
[Under regulation 27]**PART A. AUCTION**

- (1) Where an asset is to be sold through auction, the bankruptcy trustee shall do so in the manner specified herein.
- (2) The bankruptcy trustee shall prepare a sale strategy in writing for the sale of the asset and may take help of marketing professionals if it is required, which shall be submitted to the Adjudicating Authority along with the progress report under regulation 10.
- (3) The marketing strategy may include-
 - (a) releasing advertisements for auction of the asset;
 - (b) preparing information sheets for the asset;
 - (c) preparing a notice of sale; and
 - (d) liaising with agents.
- (4) The bankruptcy trustee shall prepare terms and conditions of sale, including reserve price, earnest money deposit, pre-bid qualification, and time period for full payment.
- (5) The reserve price shall be the value of the asset arrived at in accordance with regulation 30 and such valuation shall not be more than six months old:

Provided that in the event an auction fails at such price, the bankruptcy trustee may, in consultation with the committee, reduce such reserve price up to seventy-five percent of such value to conduct subsequent auctions:

Provided further that in the event of an auction failing in spite of reducing the price up to seventy-five percent, the price may further be reduced with the approval of the committee.

- (6) The bankruptcy trustee shall provide any assistance, if necessary, for the conduct of due diligence by interested buyers.
- (7) The bankruptcy trustee shall sell the assets through an electronic auction on an online portal, or on a portal designated by the Board (if any), where the interested buyers can register, bid and receive confirmation of the acceptance of their bid online.
- (8) The bankruptcy trustee may sell assets through a physical auction, with prior permission of the Adjudicating Authority, if he is of the opinion that it will maximise the realisation from the sale of the assets and is in the best interest of the creditors.
- (9) The bankruptcy trustee may engage the services of qualified professional auctioneers specialising in auctioning the assets, provided that such auctioneer fulfils the requirements in regulation 5.
- (10) The auction shall be transparent, and the highest bid at any given point shall be visible to the other bidders unless the bankruptcy trustee has received permission from the Adjudicating Authority allowing otherwise regarding the visibility of the bid price.
- (11) If required, the bankruptcy trustee may conduct multiple rounds of auctions with a view to maximise the realisation from the sale of assets, and to promote the best interests of the creditors.
- (12) On the close of the auction, the payment schedule shall be communicated to the highest bidder. On payment of the full amount, the bankruptcy trustee shall execute the sale and the asset will be transferred in the manner specified in the terms of the sale.

PART B. PRIVATE SALE

- (1) Where an asset is to be sold through private sale, the bankruptcy trustee shall conduct the sale in the manner specified herein.
- (2) The bankruptcy trustee shall prepare a sale strategy in writing to approach interested buyers for assets to be sold by private sale, which shall be submitted to the Adjudicating Authority along with the progress report under regulation 10.

- (3) Private sale may be conducted through directly liaising with potential buyers or their agents, through retail shops, or through any other means that is likely to maximise the realisations from the sale of assets.
- (4) The completion of sale, and the delivery of the assets shall be as per the terms of sale.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Ext./299/19]